

ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी..

2479



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला बस्ती
तहसील भानपुर
आवेदन क्र० 221850030081010
प्रमाणपत्र क्र० 551223007431

जारी दिनांक: 23/08/2022

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री अंकित/Ankit
माता का नाम रामलखन
निवासी श्री मति पूनम देवी
ग्राम 25, ग्राम झलहनिया पोस्ट मझौवा खुर्द
तहसील झलहनिया
जिला भानपुर
बस्ती



उत्तर प्रदेश राज्य की लोनिया-चौहान जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अंकित/Ankit पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहिप छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: ब्रजेश कुमार चौधरी, सीएससी गवर्नेंस जन सेवा केंद्र SUDHANSHU

पद: ब्रजेश कुमार चौधरी, केन्द्र प्रभारी

स्थान : Tenui, बस्ती, बूढ़ा पार, गौर, बस्ती

दिनांक: 26/08/2022

हस्ताक्षर एवं मुहर

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edistrict.up.gov.in> पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।

NAYAK

Digitally
Signed by
SUDHANSHU
NAYAK
O=Personal,
S=Uttar
Pradesh

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार

डिजिटल हस्ताक्षरित

भानपुर, बस्ती

दिनांक: 23/08/2022